PROBLEMS OF POTATO GROWERS

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) : उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन में उत्तर प्रदेश के आलू किसानों की दुर्दशा और सरकार की उपेक्षा के कारण आत्महत्या करने की उत्पन्न स्थिति के संबंध मे ध्यान आकृष्ट करते हुये आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि आपकी पीठ से भी इस सरकार को कुछ निर्देश हों।

उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश के किसान इस सदी की सबसे भयावह स्थिति मे हैं। पहले सूखा और अब फसलों के अलाभकारी मूल्य ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया है। किसान को आलू का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान मे किसान का आलू 80 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से बिक रहा है जिसमे से 30 रुपये उसका बारदाना और भाड़े में कट जाता है, जबकि यही आलू बाजार में छह रुपये किलो बिकता है। किसान को 80 किलो आलू के बदले मे मात्र 50 रुपये मिलते हैं। सरकार पूर्णरूप से उदासीन है। नेफेड द्वारा इसकी खरीद न करने से स्थिति और भी भयावह हो गई है। गंभीर बात तो यह है कि नेफेड जिसका काम फसलो की खरीद करना था, वह अब मात्र भ्रष्टाचार और मौज-मस्ती का अड्डा बन गई है। इसके कारण किसान मर रहे हैं और भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

दूसरी संस्था एन.सी.डी.सी. द्वारा इस ओर कोई कदम नही उठाया गया है। यदि ये दोनो संस्थाएं अपने-अपने दायित्व का निर्वाह करतीं तो किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जा सकता था। इनके क्रिया-कलापो की जांच होना अत्यावश्यक है। आगरा के किसान भगवान सिंह निवासी गांव - नदाऊ द्वारा हताशा में कुएं में कूद कर आत्म-हत्या कर ली गई, परन्तु स्थानीय प्रशासन इसे हादसा बताकर अपना पीछा छुड़ा रहा है। सादाबाद में भी किसान अपने आलू के खरीददार न मिलने के कारण उसे नहर तथा रास्ते में डाल रहे हैं। गरहीराम बक्स ग्राम के घनश्याम ने भी आत्म-हत्या करने का प्रयास किया जो कि आज अस्पताल में भर्ती है। किसान कर्ज से डूबा है। आलू के उत्पादन में उसकी जो लागत लगी है उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आलू की खरीद के लिए तुरंत सरकारी व्यवस्था की जाए। नेफेड तथा एन.सी.डी.सी. के क्रिया-कलापों की सर्तकता विभाग से उच्चस्तरीय जांच कराई जाये। आलू किसान को मुआवजा दिया जाए तथा उनके ऊपर जो बैंक का कर्जा है, उसका ब्याज माफ करते हुए भुगतान की अवधि को बढ़ाया जाये, अन्य देय की वसूली स्थगित की जाये और युद्धस्तर पर नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाये। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Special Mentions are over. Now, we will take up the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2003.

THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 2003.

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): Madam, I beg to move:-

> "That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

महोदया, मेरी यह विनती है कि पिछले सत्र में दोनों सदनों में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और सरकार ने इसके चलते एम.एस.पी. में पांच रुपये बढ़ाए। यह जो शुगर

उपसभापति : चलिए, यह उनके सोचने की बात है । जाने दीजिए, वह नमकीन होना चाह रहे हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : इस बात पर जब आरग्यूमेंट हो रहा है तो मैं बताना चाहूंगा। यह आवश्यक नहीं था, फिर भी बताना चाहता हूं कि चीनी खाना आवश्यक नहीं है। हर खाने में नॉर्मल शुगर कॉन्टैंट होता है। हर वैजीटेबल में, दूध में होता है। वह नॉर्मल है, वही ऐनफ है। एक्स्ट्रा शुगर खाना कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रमा शंकर कौशिक : इसमें आप देखिए कि जो भी चीज़ आप खाते हैं, वह पेट में जाकर पहले शुगर ही बनती है, ग्लूकोज़ बनती है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : वही तो मैं बोल रहा हूँ । आप मेरी ही बात बोल रहे हैं। इसलिए शुगर ऐसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट में नहीं रहनी चाहिए, यह पहली बात मैं बोलना चाह रहा था।

दूसरी बात मैं यह बोलना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में लिखा है, एक ओवरऑल पोज़िशन को अगर समझा जाए कि फार्मर्स को पैसा देना है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन इनको किस तरह से पैसा देना है, इसको समझने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय पहले जो भी डिसकशन हुआ, जो भी विचार हुआ, मिनिस्ट्री का विचार हुआ - वह हो गया, आप ऐसा करके देख लीजिएगा। मैं नहीं समझता कि इस रास्ते से फार्मर्स का कोई भला होने वाला है, मैं नहीं समझता कि इस रास्ते से कंज्यूमर का कोई भला होने वाला है। अगर ऐसा नहीं तो यह जो लिखा है, ऐक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था 1955 में भी, '...for maintaining or increasing supplies of essential commodies...' कहीं नहीं लिखा है "for reducing the supplies of essential commodities" - ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर सप्लाई कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऐसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट को ऐप्लाई किया गया था। सिंहल साहब ने जो अभी कहा कि पचास वर्ष से ऐसा चल रहा है, तो पचास वर्ष से ऐसा इसलिए चल रहा था क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में प्रोडक्शन कम था, चाहे वह wheat हो या rice हो। यह तो इंदिरा जी की दूरदर्शिता थी कि "ग्रीन रिवॉल्यूशन" हुआ और हिंदुस्तान आज खाद्य पदार्थों को इम्पोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने लगा है। इसी प्रकार शुगर भी ज्यादा बन गई। इसलिए ऐसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट जो था, वह उस समय की आवश्यकता के अनुसार था। लेकिन आज जब ऐक्सेस सप्लाई चल रही है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह समझने की दरकार है। यह aim था। अब एक नई बात कहां से आ गई कि सप्लाई को कम कैसे किया जाए? बाज़ार में माल कम कैसे किया जाए? जब आप बाज़ार में माल कम करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दाम कैसे कम होगा? दाम अगर कम नहीं होगा तो आप कंज्यूमर का भला कैसे करेंगे? "एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्ज़" में आगे यह भी लिखा है - मैं केवल रेफरेंस वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं - ...regulating or prohibiting the production, supply and distribution of such essential commodites and trade and commerce therein so as to achieve the objectives of the Act...' ऑब्जेक्टिव तो यह है कि कंज्यूमर का भी फायदा हो, कंज्यूमर को माल मिले, वह ऑब्जेक्टिव तो इसमें पूरा ही नहीं हो रहा है। अगर आप माल कम देंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा?

महोदया, फिर यह लिखा है...partial control of sugar since 1966' चालीस वर्ष

का सरप्लास स्टॉक हो गया है, उससे दाम बहुत नीचे गये हैं। उसके चलते किसानों को जो दाम मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। शुगर इंडस्ट्री में बड़ा क्राइसिस है। उसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमने 20 लाख का बफर बनाकर 778 करोड़ रुपये की राहत पिछले ड्यूज़ के लिए दी। जो इंटरनल फ्रेट रेट हैं, उनको सब्सीडाइज़ किया तथा जो ओशन फ्रेट रेट हैं, उनको सब्सीडाइज़ कर रहे हैं। हमने कई तरह के कदम उठाए हैं और उनमें से एक कदम यह है, क्योंकि पिछले सत्र में दोनों सदनों में इस पर काफी बहस हुई है और उस बहस के बाद यह तय हुआ कि सरकार को तात्कालिक तौर पर और लम्बे समय के लिए नीति बनानी चाहिए। तात्कालिक तौर पर इस समस्या का एक कारण यह भी है कि बड़े पैमाने पर जो हमारा पुराना रिलीज़ मकैनिज़म है - डीकंट्रोल करने का जो फैसला हुआ - उसके चलते बड़े पैमाने पर शुगर मिल ओनर्स, शुगर इंडस्ट्री के लोग घबराहट में कोर्ट गए और उसके बाद 37 लाख मीट्रिक टन चीनी बाजार में आ गयी। जिस प्रकार सन् 78 में हुआ था - जब डीकंट्रोल किया गया था - उस समय का भी हमारा ऐक्सपीरिएंस है कि जो दाम थे, वे बहुत नीचे गये थे और किसान दिक्कत में आ गया था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले सत्र में रिलीज़ मकैनिज़म को फिर से वापिस लाने का और इसे इफैक्टिव बनाने के लिए लाईथ शैडयूल में डालने का अनाउंसमेंट किया था। उसी बात को अंजाम देने के लिए इस सदन में आपके सामने मैंने इस बिल को रखा है। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कई कदम जो उठाए गए हैं, उनमें यह सबसे मजबूत कदम है। मैं मानता हूं कि इसके चलते जो इंडस्ट्री है, खासकर किसान को राहत मिलेगी और उनके जो पैमेंट नहीं हो पा रहे हैं, वह होने का काम हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से सदन से कहूंगा कि इस पर काफी बहस हो चुकी है। इतना ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

The question was proposed.

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं ऐक्ट का नाम पढ़ना चाह रहा हूं "एसैंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट-1955" एसैंशियल का हिन्दी में मतलब होता है - आवश्यक - और मैं नहीं समझता कि चीनी कोई बहुत आवश्यक चीज़ है। चीनी खाने से तो वजन भी बढ़ता है और डायबिटिक होने का भी डर होता है। पहले तो मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले वे यह तय करें कि चीनी आवश्यक है या नहीं। अगर नहीं है तो...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : पिछले पचास साल से पी.डी.एस. में बांटी जा रही है। आवश्यक नहीं थी तो ऐसा क्यों हुआ? क्या अब कोई नयी आवश्यकता बनाई गयी है?

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैं उस बात का जवाब दे दूंगा कि पचास साल से क्यों बांटी जा रही है। वह बात अगली स्टेज पर आएगी। अभी तो सवाल है कि चीनी आवश्यक है या नहीं।

उपसभापति : यह डिपैंड करता है। कोई भी चीज़ अगर हद से ज्यादा की जाए, अच्छी बात भी, तो वह नुकसानदेय हो जाती है। इसलिए अगर हद से ज्यादा चीनी खाएंगे तो नुकसानदेय होगी। लिमिट में खाइए तो कुछ नहीं होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : लिमिट में खाएं तो यह जरूरी है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : बताइए, किसके घर में चीनी नहीं आती?

से पार्शियल डीकंट्रोल चल रहा है। तब से यह मेथड बन रहा है कि कैसे इसको डीकंट्रोल किया जाए? इन्ही की सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक पॉलिसी डिसीज़न लिया कि शुगर इंडस्ट्रीज़ को पूरा डीकंट्रोल कर दिया जाए। इसमें लिखा है "sugar policy partial decontrol" फिर लिखा है 'phasing the decontrol of sugar from 40 to 30 per cent and so on with effect from 2000.' - लेवी से हटाकर आप लोगों ने जो किया। फिर 2001 से 15 परसेंट कर दिया। इसी तरह आप कम करते चले जा रहे हैं और यह इसलिए कम करते चले जा रहे हैं कि पी.डी.एस. में शुगर या तो बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है या एक तबके को मिलती है जो कि बी.पी.एल. वाले हैं। आपको इनफॉर्मेशन के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि पी.डी.एस. से शुगर मिलने पर भी कोई आदमी पी.डी.एस. की शुगर नहीं लेता है। कोई नहीं लेना चाहता है क्योंकि बाज़ार में शुगर का दाम पी.डी.एस. की शुगर से कम है। जब बाज़ार मे सस्ती मिलती है तो कोई पी.डी.एस. से क्यों लेगा? इसलिए ऐसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट का जो whole purpose है, वह superfluous हो गया, वह बेकार हो गया।

महोदया, एक तरफ हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, एक तरफ हम लिबरलाइज़ेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी कोई इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसका इस तरह से गला घोंटा जा रहा हो। ऐसी कोई इंडस्ट्री नही है। केवल एक इंडस्ट्री को आप बोल रहे हैं कि माल बना लो लेकिन साल भर तक बेच नहीं सकते। एक Kg भी नहीं बेच सकते। माल बना लो, बैंक से रुपया ले लो और उसका डेढ़ रुपया पर किलो खाली इन्टरेस्ट रेट है। वह कौन देता है? बैंकर्स को जो डेढ़ रुपया पर Kg देना पड़ रहा है, यह शुगर इंडस्ट्री को देना पड़ता है और फिर कंज्युमर्स को देना पड़ता है। अगर यह डेढ़ रुपया किलो नहीं देना पड़े तो यही रुपया फारमर्स को मिल जाएगा। रिजल्ट यह हो रहा है कि माल बिकता नही है। आप माल बेचने नहीं देते हैं। जब आप माल बेचने नही देते हैं तो फारमर्स को पैसा कैसे देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के बिल से कोई दाम बढ़ जाएगा। अगर इस तरह के बिल से दाम बढ़ जाएंगे, इन कागजो से दाम बढ़ जाएंगे तो आप रूल बनाते रहिए, चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। ऐसा नही होता है। नार्मल इकोनोमी में जब सबको पता है, सारे हिन्दुस्तान को पता है कि 160 लाख टन स्टाक में माल पड़ा हुआ है। मेरे पास फिगर्स हैं कि बढ़ते-बढ़ते हर साल प्रोडक्शन बढ़ा है। 1996 में क्लोजिंग स्टॉक 66 लाख टन था। 1997-98 में यह 53 लाख टन हो गया। 1998-99 में 66.78 लाख टन, 1999-2000 में 93.40 लाख टन और 2000-2001 में 106 लाख टन हो गया। मैं जो फ़िगर्स दे रहा हूं, ये 106 लाख टन आफिशियल फिगर्स हैं । वास्तव में 160 लाख टन चीनी का स्टाक पड़ा हुआ है। जो एक साल में भी कंज्यूम नही हो सकता। जो माल पड़ा हुआ है, मंत्री महोदय ने अभी पीछे भी एनाउन्स किया था कि कोई बीस लाख टन बफर स्टॉक करेंगे। बफर स्टॉक करके क्या होगा? उसमें गयर्नमेंट का रुपया लगा देंगे। लेकिन उससे होगा क्या? माल तो पड़ा हुआ है, माल तो किसी को खाना पड़ेगा, कभी न कभी तो खाना पड़ेगा। पब्लिक को मालूम है कि स्टॉक में माल पड़ा हुआ है। ट्रेडर्स को मालूम है, कंज्युमर को भी मालूम है। वह दाम कैसे बढ़ने देगा? दाम इस तरह से नहीं बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा, आप इसकी एक पॉलिसी बनाइए कि जो सरपलस स्टॉक है, जो हिन्दुस्तान में माल नहीं चाहिए, वह एक्सपोर्ट हो सके। इसके लिए अगर सब्सिडी रास्ता है, आपके डब्लूटीओ में परमिशन है तो दीजिए। आप सरकार में हैं इसलिए उसके लिए रास्ता निकालिए। यह आपकी सरकार में हुआ है कि यहां पर सरपलस शुगर का स्टॉक पड़ा हुआ था, आपने इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट

करके ड्यूटी जीरो कर दी। जब कि उस समय भी ड्यूटी 35 परसेंट हो सकती थी। लेकिन आपने ड्यूटी जीरो करके और इम्पोर्ट कर लिया जिससे दाम और गिर गया। मैडम, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि वे यह समझ ले कि इस तरह के रेग्युलेटिड रिलीज मैकेनिज्म से इंडस्ट्री को कोई लाभ नही होने वाला है। जो बड़ी-बड़ी यूनिट्स हैं, जो दस हजार टन, बीस हजार टन प्रोडक्शन कर रही हैं, वे मुश्किल से हिन्दुस्तान मे दस-पन्द्रह यूनिट ही होगी। हो सकता है उनको लाभ हो जाए। आपके पास कितने को-ऑपरेटिव्स मे यूनिट्स हैं? प्राइवेट मे 166, पब्लिक मे 55, को-आपरेटिव मे 299 और टोटल यूनिट्स 520 हैं। जो पब्लिक और को-आपरेटिव मे हैं, ये 354 यूनिट्स हैं, प्लस 166 मे कम से कम 100 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि ढाई हजार टन पर डे से कम प्रोडक्शन करती हैं। मतलब यह है कि शुगरकेन खाती हैं। इनमे तो 70-80 यूनिट ऐसी हैं जो पन्द्रह सौ टन से भी कम की हैं। जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं, इनको न तो बैंक से लोन मिलता है और जब चाहे आप उनके माल को पकड़कर बैठ जाएं। माल को पकड़कर बैठ जाइए तो क्या होगा? या तो यूनिट बंद हो जाएगी या लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम हो जाएगी, या किसान को पैसा नही मिलेगा और वर्कर को भी पैसा नही मिलेगा। इस बारे मे आपको विचार करना पड़ेगा। इस तरह के लेजिसलेशन से अगर फारमर को पैसा मिल जाता है तो मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आज से 6 महीने बाद। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में शुगर का सीजन फिर चालू हो जाएगा। उसके बाद बात करूंगा कि आज के दिन तक जितना रुपया फारमर का बाकी है, इस लेजिसलेशन के कारण एक साल के बाद रुपया कम हुआ या बढ़ा, शुगर का दाम कम हुआ या बढ़ा। शायद आज तो आप मेरी बात नही मानेगे। क्योंकि आपके पास बहुत-सी रिपोर्ट्स हैं, बहुत-सी एक्सपर्ट्स की स्टडी है लेकिन ये सारी स्टडी और एक्सपर्ट्स की बातें थियोरिटिकल हैं । मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि इससे कोई लाभ नही होगा ।

क्लॉज (5) कहता है कि "Regulating the production, maintenance of stock, storage, marketing, marking, sale and disposal." मतलब क्लाज (5) मे सारा काम आ गया । सब कुछ तो आपने कंट्रोल कर ही रखा है अब और नया क्या कंट्रोल करना चाहते हैं ? आपने लिखा है कि कुछ मिले कोर्ट्स में चली गईं । क्या आपने इन्वेस्टीगेट किया कि वे कोर्ट्स मे क्यो गई ? आप केवल यह सोचना चाहते हैं कि सरकार ने एक रूल बनाया और उन छोटी यूनिट्स ने नही माना इसलिए हम रूल को बदल देगे । अगर इस जिद से बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए । लेकिन आप इसके अंदर भी घुसकर देखिए कि जिस यूनिट ने यह रूल, लॉ तोड़ा या कोर्ट मे गई - लॉ नही तोड़ा, कोर्ट की परमिशन ली, कोर्ट की परमिशन से यह काम किया, इसमे भी आपको कष्ट हो रहा है । इसे भी आप सही नही मान रहे हैं । क्यों किया ? यह जो रुपया आया, वह किस काम आया ? मुझे हंड्रेड परसेंट खबर है कि वह सारा रुपया फार्मर या वर्कर को दिया गया । आप इसे रोकना चाह रहे हैं । फिर आप कहते हैं कि हम फार्मर की सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं । आप पता लगाइए कि ऐसा क्यो हुआ । आप पता लगाइए कि किस-किस यूनिट ने ऐसा किया । आप पता लगाइए कि उस जगह लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी या नही हुई थी । किन कंडीशन्स मे उन्हे कोर्ट मे जाना पड़ा । पहले आप यह सब पता लगाइए फिर सोचिए कि आपका यह लॉ काम करेगा कि नही करेगा ।

मैं बोल रहा था कि लिब्रलाइजेशन कीजिए । लेकिन आप तो कम्पलीट डीकंट्रोल करना चाह रहे थे । कर दीजिए । जिसे सुविधा होगी, डिमांड एण्ड सप्लाई के हिसाब से नॉर्मल कोर्स में जो यूनिट बचेगी वह बचेगी, जो नहीं बचेगी वह नहीं बचेगी । वैसे भी बंद हो रही है, वैसे भी बंद होगी लेकिन कम से कम एफीसिएंशी तो बढ़ेगी, कोई बंधन तो नहीं होगा, कोई आर्टिफिशियल कंट्रोल तो नहीं होगा ।

पांच बरस से प्रोडक्शन बढ़ रहा है । यह खुशी की बात है । और बढ़ना चाहिए लेकिन उस प्रॉड्यूस मैटीरियल का क्या करना है, आप इसके बारे में सोचिए । नहीं तो इस तरह के आर्टिफिशियल मेजर से हर साल स्टाक बढ़ता चला जाएगा । जैसा मैंने बताया है कि आपके हिसाब से यह एक सौ छह लाख टन है । आपकी अपने फिगर के हिसाब से, सरकारी फिगर के हिसाब से एक सौ छह लाख टन है । उस एक सौ छह लाख टन का क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाइए । इस तरह के बिल आने से जो एक सौ छह लाख टन का स्टाक है वह बढ़कर दो सौ लाख टन हो जाएगा । तब क्या होगा ?

आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े । गन्ना और पैदा हो । मैं भी चाहता हूँ । गन्ना ज्यादा पैदा होगा तो चीनी बनेगी । चीनी तो बनेगी लेकिन बेच नहीं सकते हैं...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : चीनी के अलावा कुछ और भी बना सकते हैं they can make alchohol; they can make so many other things.

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैडम, अल्कोहलिक वाली जो बात है, वह नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो पांच प्रतिशत का नियम बनाया गया है, उसका जो कैपिटल एक्सपेंडीचर है, उसके लिए जब तक पांच हजार टन की क्रशिंग कैपेसिटी न हो तब तक आप वह यूनिट नहीं लगा सकते । हमारे पास पंद्रह सौ टन की यूनिट है । यहां पांच हजार टन कैपेसिटी की यूनिट तो हैं ही नहीं । मैडम, मैं तो दो सौ, ढाई सौ वाली छोटी यूनिट के लिए चिंतित हूं जो कि पंद्रह सौ से दो हजार तक की हैं । मैं इन यूनिट के लिए चिंतित हूं । बड़ी वाली यूनिट को ये सब रूल नहीं चाहिए, उन्हें तो सारे सिस्टम आते हैं । पहले ऐसा भी होता था कि मैकेनिज्म तो है लेकिन उस मैकेनिज्म को तोड़कर डिशक्रेशनरी में कभी किसी को बढ़ा दिया तो कभी किसी को बढ़ा दिया । ऐसा पीछे हुआ है, फिर से हो सकता है । हो सकता है कि फिर से न भी हो । सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि जो एल्कोह या पैट्रोल में डालने की बात है वे सब चीजें बनाने हैं तो यह एक दिन में नहीं हो सकता है...**(व्यवधान)**:..

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : एथेनॉल बोलते हैं ।

श्री संतोष बागड़ोदिया :•एथेनॉल । थैंक यू ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is ethyl alcohol....*(Interruptions)*...I am using a more technical word.

श्री संतोष बागड़ोदिया : यह एथनोल जो है, उसको बनाने के लिए भी मिनिमम 5 हजार टन की कैपेसिटी चाहिए । उस एरिया में अगर उतना शुगरकेन उपलब्ध नहीं है तो उस यूनिट का क्या होगा, उस पर भी विचार करना होगा । बड़ी-बड़ी यूनिट्स का तो ठीक है । आप यह रूल बनायेंगे तब भी ठीक है और नहीं बनायेंगे तब भी ठीक है । उनको तो बैंक से लोन भी नहीं लेना पड़ता और उनको डेढ़ रुपये का कास्ट भी नहीं पड़ता । उनका काम तो चलता ही रहेगा । मैं जानता हूँ कि यह बिल भी पास हो जाएगा । लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि आप यहां से जाकर अपने डिपार्टमेंट को कहिए कि छोटी यूनिट्स को बचाने के बारे में कुछ करें । उनके लिए अलग से एक नियम बना दीजिए । यह जो नियम है यह बड़ी-बड़ी यूनिट्स के लिए लागू रखें, जिनको कि यह अच्छा लग रहा है । छोटे यूनिट्स को यदि आप कुछ डिस्क्रीशन दे दें कि अगर फॉर्मर का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जिनको बैंक का लोन नहीं मिल रहा है उनको बेचने के लिए एलाउ कर दें, चाहे थोड़ा ही एलाउ कर दें, 50 परसेंट कर दें, 60 परसेंट कर दें । उनका आप गला मत घोंटिए । नहीं तो ये सारे यूनिट्स बंद हो जायेंगे । ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : बागड़ोदिया जी, अभी आपकी पार्टी के दो स्पीकर हैं ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : अब आपने जब दो, तीन, चार बोलना चालू कर दिया है तो मुझे तो बंद करना ही पड़ेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : There are two more speakers. I have to be strict about it. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am not doubting it. You are always very kind to me. मैं लास्ट प्वायंट बोल रहा हूं । ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : आज आपने सब प्वायंट् बोल दिए ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : अच्छा, फिर भी एक प्वायंट् बाकी रह गया है और वह आप देखेंगे कि नया प्वायंट् है, जो कि मेरे दिल को बहुत भाया हुआ प्वायंट् है । वह प्वायंट् यह है कि जो आप पैकिंग कर रहे हो उसमें आपने फिर प्लास्टिक बैग लगा दिए । उससे क्या हुआ कि शुगर को जो सांस आती थी, क्योंकि शुगर को भी सांस चाहिए, उसका आपने गला घोंट दिया । प्लास्टिक बैग लगाने से उसके अंदर हवा जानी ही बंद हो गई ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is good. Otherwise, it will absorb moisture and get spoiled. I think this is technically right.

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैडम, मुझे आप जरा बोलने देंगे । ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : मैडम, एक मिनट । यदि आप मेरी बात सुन लें तो ठीक रहेगा । मान लो यदि इससे गला घुट रहा है तो फिर बहुत सी चीज़ों का गला घुट रहा है । उन सब के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए । दूध का गला घुट रहा है । बाकी सब चीज़ें भी इसी में पैक हो कर आ रही हैं । उन सब चीज़ों का गला घुट रहा है । लेकिन आप सिर्फ इस बैग के पीछे पड़े हैं ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैडम, ऐसे है, जिन सब चीज़ों का गला घुट रहा है वह आपकी सरकार घोट रही है । मत घोटो । अभी तो हम लोग केवल शूगर की बात डिसकस कर रहे हैं, इसलिए मैं तो खाली इसी का गला घुटने की बात करूंगा । अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो आप जोर-जोर से घंटी बजाएंगी । मेरा कहना यह है कि एक्सपोर्ट में प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, उसमें मुझे कोई आब्जैक्शन नहीं है । उसका कारण क्या है कि जब एक्सपोर्ट होता है तो वहां जाते ही एक सप्ताह के अंदर उसको छोटे बैग्ज़ में डाल दिया जाता है और एक महीने में वह माल बिक जाता है । लेकिन यह मैटीरियल जो है, इस बिल को ला करके आप उसको साल-साल भर स्टॉक में रखेंगे । मैडम, मेरी सिर्फ यह चिंता है । अगर आप इसको स्टॉक न करें, तो आप प्लास्टिक बैग यूज़ करिए, कोई समस्या नहीं है, वर्ल्ड में यह कहीं काम में नहीं आता है, लेकिन साल-साल, दो-दो साल तक स्टॉक पड़ा रहे तो उसके अंदर उसका गला घुट जाएगा और हवा के बिना शूगर खराब हो जाएगी । इतना ही नहीं, वह शूगर जहरीली भी हो सकती है । प्लास्टिक का भी उसके ऊपर असर होगा । अगर चाहे तो आप यह नियम कर दें कि तीन महीने में वह बिक जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन यह जो साल, दो साल तक आप स्टॉक रखना चाहते हैं, उसके बाद उसको अगर हवा नहीं लगी तो यह शूगर खराब हो जाएगी । यही मैं बोलना चाहता हूँ । अगर आप मेरी इस बात को माने तो इसके बारे में स्टडी करा लें और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो एक-दो वर्ष बाद आप मुझे अवश्य याद करेंगे । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Prasanta Chatterjee, in any case you have six minutes. ...*(Interruptions)*... Your Party has been allotted six minutes. Will you speak now? ...*(Interruptions)*... Or if you like, I can call you after lunch. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal) : Okay, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I can adjourn the House for lunch. The House is adjourned till two o' clock.

The House then adjourned for lunch at

fifty-four minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

SHRI PRASANTA CHATTERJEE : Madam, Deputy Chairman, this is an important Bill. It has been stated in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, "In order to safeguard the interests of the sugarcane growers, producers of sugar and the general public, to restabilise the market price of sugar and to overcome the difficulties arising from the said challenge...this amendment Bill is necessary." It has also been said that the

Bill has been introduced keeping in mind the capacity of sugar mills to pay the price.

At the very outset, I would like to emphasize here that we, in the Left, have always advocated and taken a stand so that not only sugar but also all the essential commodities, including some essential medicines, can be made available to the common people at a reasonable control price through the Fair Price Shops. Everybody knows that we have drawn the attention of the Government and the people to various acts and methods. And, the main intention is that the public distribution system should be strengthened in order to achieve that goal. But over the years, what we have seen, what we have experienced, in a country like ours, where a vast section of people are poor and only a few are rich, is that the public distribution system has continuously been weakened. For whose interest? It has been the practice of the Government to say, "Go to the open market, and face the competition there." On the other hand, the growers, the actual growers, have not received a fair price, and the common consumers have not received the commodity at a reasonable price. Here lies the danger. Even in the case of sugar, at one point of time, 60 per cent was levy sugar and 40 per cent was free sugar. Then, it became 50:50. Then it became 40 and 60. Sixty per cent is free sugar, and forty per cent is levy sugar! Now, only the BPL category is entitled to have sugar at reasonable prices. But our intention is that, as has been written in the aims and objects, the public distribution system should be strengthened. It should be ensured that sugar is available at a reasonable price through fair price shops. So, our observation is that the Government orders and the directions in this regard should ensure that the sugarcane growers get a reasonable price and the common people also get sugar at a reasonable price through fair price shops. These are our observations and demands. With these few words, I support this Bill.

लाला लाजपत राय (पंजाब) : उपसभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। असेन्सियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल जो सदन मे आया है, यह किन हालत मे आया है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पचास के दशक के अंत मे या साठ के दशक के शुरू मे हमारे देश मे हर इंसान को जिन असेन्सियल पदार्थों की जरूरत पड़ती थी, उनकी कमी महसूस होती थी। लोगों को उन पदार्थों का मिलना मुश्किल होता था, उनकी ब्लैकमार्केट चलती थी। इसके लिए उस वक्त की सरकार ने असेन्सियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया और उसके द्वारा एक शर्त लगाई, बाकी सब असेन्सियल कमोडिटी को छोड़कर, शुगर के बारे में और यह कहा गया कि जो मिले शुगर बनाती हैं उनमें से 40 परसेंट लेवी शुगर ली जायेगी । लेवी शुगर का मतलब यह कि वह खांड जो पीडीएस के जरिए लोगो को मुनासिब

कीमत पर दी जाएगी। वर्ष 2000 में इस लेवी शुगर को कम करके 30 परसेंट कर दिया गया, वर्ष 2001 में इसको 15 परसेंट कर दिया गया और वर्ष 2002 के मार्च में इसको 10 परसेंट कर दिया गया और यह इसलिए है कि पीडीएस सिस्टम के द्वारा लोगों को खांड मिलती रहे । 1966 में इसके अंदर एक संशोधन लाया गया, उस संशोधन के हिसाब से खांड पीडीएस के जरिए मिलने का हिसाब बनाया गया। 1999 में इसके अंदर फिर एक संशोधन लाया गया और उसके तहत सरकार को अधिकार मिल गया कि जो लोग भी शुगर पैदा करते हैं या शुगर में डील करते हैं -- इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या होलसेल डीलर हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से खांड को न बेच सकता है, न हिला सकता है जब तक कि सरकार की डायरेक्शन न हो। यह काम चलता रहा और पीडीएस का सिस्टम भी बहुत अच्छा चलता रहा, लोगों को सहुलियत रही। सारे देश में सारे खाद्य पदार्थ बहुत अच्छी मिकदार में पैदा होते रहे। अभी-अभी अदालत के हुक्म के हिसाब से इस सिस्टम में हिलजुल हो गई कि जो लेवी शुगर है, वह भी लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। इससे डिस्ट्रिब्यूशन का जो रेगुलेट्री सिस्टम था उसमें बहुत हेजान पैदा हो गए। अमीर को इस हालात में नाजायज़ फायदा उठाने का मौका मिल सकता था । गरीब को खांड सही कीमत पर मिले, यह बात बिल्कुल तहस-नहस हो गई । इसलिए जरूरी हो गया कि एक अमेंडमेंट लाया जाए। इस अमेंडमेंट के तहत जो पहले हालात पैदा हुए थे, जो कोर्ट के आर्डर से हालात पैदा हो गए थे, उससे मार्किट में खांड की कीमत कम हो गई और कीमत कम होने से मिल वाले गन्ने वालों को पैसा देने में असमर्थ हो गए । यानी सारा सिस्टम अपसैट होने के कारण समाज के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाकर इसे दस्तूर में लाने की आवश्यकता महसूस होने लगी और उस हालात को दस्तूर में लाने के लिए आज यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अमेंडमेंट के हिसाब से इसमें दो क्लाज़ हैं 3 (डी) और 3 (ई)। 3 (डी) के हिसाब से सरकार को अधिकार है कि वह किसी को भी अपनी मर्ज़ी से खांड नहीं बेचने देगी। सरकार का हुक्म होगा, उसके हिसाब से ही चीनी बांटी होगी, सरकार का हुक्म नहीं होगा तो चीनी की हलचल नहीं होगी। दूसरी जो 3 (ई) क्लाज़ है उसके हिसाब से पहले उसे बेचा जा सकता था, अब जब सरकार डायरेक्शन्स ईशू करेगी, तो चीनी रीलीज होगी ।

इस तरह से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करने के लिए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आज यह अमेंडमेंट बिल पेश किया है और मैं इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूँ ।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, it gives me great pleasure to speak on this small piece of legislation, moved by the hon. Minister for Consumer Affairs, Food and Public distribution. The Bill is brought before us to amend the Essential Commodities Act to plug the loopholes with the help of which some of the sugar mills are indulging in malpractices and are selling more sugar in the open market than prescribed by the Government, resulting in decline in the payment of price to sugarcane growers. The problem arose because the sugar release mechanism is governed not directly by the Essential Commodities Act, but by the Sugar (Control) Order, 1966. Taking advantage

of this, some of the mills went to court and got decree in their favour under article 19 and 14 of the Constitution because clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order are not in conformity with articles 14 and 19 (1) (g) of the Constitution. I welcome the inclusion of new clauses, 3(d) and 3(e), in the Act, which plugs this loophole and helps the producers of sugarcane to get the minimum support price decided by the Government. This is the simple amendment that the Government has brought before the House for its approval. It is a good decision.

But, at the same time, the sugar mills are also facing a lot of problems. We all know that sugar industry is the second-largest agro-based industry in the country, and the largest industry located in rural areas. We have more than half a thousand sugar factories in the country, and the annual production is around 190 lakh tonnes. As of today, the sugar mills are facing compound losses to the tune of Rs. 5,500 crores. This industry is facing losses for the last three years because of excessive production. One of the problems that this industry is facing is with regard to the minimum support price of sugarcane, which is going up year after year. Tax, power and water charges, transportation charges are all going up and the result is that the production cost of sugar is also going up. The other problem is the technology that we are using is obsolete. For this, we have to find out some innovative techniques so as to reduce the cost of production. If you look at other countries, the cost of production of one tonne sugar comes to Rs. 9,975/-, whereas in India it is Rs. 13,700/-! So, there is, nearly, a difference of Rs. 4,000/- per tonne in the production cost alone. I agree that the countries such as Brazil, USA, Japan, and some European countries are giving subsidy. But, the technology that has been adopted there is far more advanced than the technology that we are using here. So, I would like to know from the hon. Minister what his Ministry is doing to reduce the cost of production of sugar.

The other worrying issue is that the exports are also coming down. I will just give one example. Last year, we had exported about 11.5 million tonnes of sugar, whereas this year, the exports slumped to 10 million tonnes. So, I would like to know from the hon. Minister how is he going to export more sugar to other countries and deal with the exorbitant import duties imposed by some of the developed countries? I would also like to know from the hon. Minister the impact of Iraq War on our export of sugar. I suggest that when other countries are imposing more and more import duty, why can't India do the same and save our sugar mills, which are on

the verge of collapse. By imposing a heavy import duty on sugar, we can reduce sugar imports and, thereby, reduce piling up of sugar stocks in the country.

The next point is this. Is it true that the Indian Sugar Mills Association is demanding for retaining tax on sugar, excise duty, central cess on sugar and excise duty on molasses for a short period of one year, in the light of the pathetic condition in which the sugar industry is passing through? If yes; what is the Government doing in this regard?

Finally, I wish to bring to the notice of the hon. Minister that Brazil and other developed countries are allowing about 10-15 per cent ethanol to be mixed with petrol, whereas we are allowing only 5 per cent of ethanol to be mixed with petrol. Hence, I request the hon. Minister to increase this to, at least, 15 per cent. This will not only result in savings in our oil import bill, but also add to the commercial viability of our sugar mills. Above all, the sugarcane farmer will get a higher price for his produce and, at the same time, the losses that are being suffered by sugar mills in the country could be minimised.

I would also like to know what the Ministry is doing with regard to producing electricity with the waste that comes out of sugar mills.

I want the hon. Minister to respond to the queries raised by me. Thank you.

श्री रमा शंकर कौशिक : माननीय उपसभापति महोदया, मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूँ कि माननीय शरद यादव जी के इस विधेयक पर मैं समर्थन में बोलूं या विरोध में बोलूं। समर्थन में बोलने का कारण यह है कि यह अधिकार तो मंत्री जी को है कि वे इस ढंग से नियंत्रण रखें लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसका जो मकसद बताया है, वह यह है कि गन्ना उत्पादको को जो परेशानी हो रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है और मिलों की हालत यह है कि वहां चीनी-स्टॉक भरा पड़ा है, इन सब परेशानियो को वे दूर करना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विधेयक से वे परेशानियां हल होने वाली नहीं हैं। वास्तविक स्थिति तो यह है कि आज भी चीनी का जो भाव बाज़ार मे है, उससे किसी भी प्रकार से मिल-मालिकों को कोई नुकसान होने की कल्पना ही नही की जा सकती। समस्या यह है कि माल बहुत भरा पड़ा है, माल का उठान नही हो रहा है और किसानो का पैसा फंसा पड़ा है। मिल-मालिक, केन-ग्रोअर्स का पैसा नही दे रहे हैं । कोऑपरेटिव मिलो की भी यही समस्या है। केन-ग्रोअर्स को कैसे फायदा हो, उनको कैसे समय से पेमेंट मिले, यह तो सरकार को अन्य उपायो द्वारा तय करना होगा। इस विधेयक से उनकी समस्या हल होने वाली नही है। समस्या का हल तो तभी हो सकता है जब माल का उठान हो। आप ज़रा हिसाब लगाकर देखिए कि आज भी साढ़े बारह सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चीनी का जो भाव है, उस स्थिति मे क्या मिल-मालिकों को नुकसान हो रहा है? मिल मालिक को नुकसान नहीं है और यह समस्या उत्तर प्रदेश या जो हमारे उत्तरी राज्य हैं उनकी ज्यादा है,

हालांकि महाराष्ट्र मे निश्चित रूप से हमारे यहां से ज्यादा शुगर मिल हैं, वे 137 शुगर मिल चलाते हैं तथा 67 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश मे 45 लाख टन से कम ही करते हैं। हमारे यहां भी 100 मिलों से ज्यादा हैं उत्तरांचल को भी मिला कर। तो ऐसी स्थिति मे जो समस्या है वह उत्तर भारत की है और उत्तर भारत में जो स्थितियां हैं उन स्थितियो मे आपको यह सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मिल मालिकों से पैसा केन गोअर्स को दिलाया जाए क्योंकि आप जोड़ते ही नहीं हैं पूरा हिसाब। चीनी मिल गन्ना उत्पादकों को जो पैसा दे रहे हैं उसको लगाने के बाद भी उनके पास बचता है। चीनी बिकती है, शीरा बिकता है। 100 क्विंटल मे 6 क्विंटल तो शीरा ही पैदा होता है जिसका सौ रुपए का भाव है, 4 क्विंटल खोई पैदा होती है जिसका सौ रुपए का भाव है और जो मैली इकट्ठा होती है उसका भी अच्छा भाव है, और भी दूसरी चीजें हैं - शराब भी बन रही है। इसके अलावा इथनॉल भी कुछ जगहों पर बन रही है। इन सारी चीजो को देखते हुए आपको इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा। समस्या तो यह है कि आपका माल उठ नहीं रहा है। माल आपके यहां ज्यादा है और उसका कारण भी सरकार की नीतियां रही हैं। आपने पाकिस्तान से इतनी चीनी क्यों मंगाई जब आपके यहां आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वह बात पुरानी हो गई है। लेकिन आगे तो इस बात को सोचना ही है। पर आज भी क्या आप निर्यात के मामले में कुछ कर रहे हैं? जो विदेशों से निर्यात हो रहा है उसमे वहां की सरकार निर्यात के ऊपर सबसिडी देती है। आपने क्या कोई उसका उपाय सोचा है? आप निर्यात में कोई सबसिडी देने की बात सोच रहे हैं? आप नही सोच रहे हैं। उसका निर्यात होना चाहिए, उसका उठान होना चाहिए। यह समस्या मूल रूप से है। समस्या यह नही है कि आप माल को इकट्ठा करवा देंगे और बाजार में कुछ अभाव की स्थिति पैदा कर देंगे। यह स्थिति पैदा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो मशीनरी है वह बिल्कुल चरमरा जाएगी क्योंकि आपके पास ऐसा अच्छा मकेनिज्म नहीं है कि आप जनता की अपेक्षाओ के अनुसार उसका नियंत्रण कर सकें। आपके पास ऐसी मशीनरी नहीं है। बहुत सी चीजो मे देखा है, बहुत सी बातों मे देखा है कि जब इस प्रकार के नियंत्रण लगते हैं तो आपकी मशीनरी एकदम आपके तमाम आदेशों और निर्देशों के विपरीत जाकर मुक्त हो जाती है और अपनी मनमानी करती है। ऐसी स्थिति में आप जनता को परेशानी मे डालेंगे। लेकिन केन ग्रोअर्स को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह बात सही है जो बागड़ोदिया जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोआपरेटिव की और कारपोरेशन की मिलें हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश मे जो चीनी मिलें हैं वे कोआपरेटिव की हैं जो सरकार चलाती है, तथा कोआपरेटिव की वैसी नही है जो महाराष्ट्र में कोआपरेटिव की हैं। हमारे यहां तो सरकार के ही नियंत्रण में कोआपरेटिव की इण्डस्ट्री या कोआपरेटिव की जो शुगर इण्डस्ट्री है वह चलती है। तो वे बहुत छोटी हैं। कारपोरेशन की भी बहुत छोटी हैं और कोआपरेटिव की भी बहुत छोटी हैं, जो उत्तर प्रदेश मे चलती हैं। तो उनका वाकई बहुत कम उत्पादन होता है प्रतिदिन। वह अपने माल को कैसे रोकेंगे यह समस्या आएगी। उनके पास तो इतना पैसा नही है, उनके पास इतना धन नही है, उनके पास इतनी जमा नही है। लेकिन आप आज तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मूल्य नहीं दिला पाए। पिछले सालों का भी नहीं दिला पाए। किसानों का चीनी मिलो के ऊपर इस साल का 350 करोड़ रुपए बकाया है। पिछला 300 करोड़ का बकाया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आज भी चार महीने लगातार हो गए उत्तर प्रदेश मे चीनी मिलों को चलते हुए। गन्ना किसान अपना गन्ना दे रहे हैं। उसकी परची पर यह तो लिखा जाता है कि इतना गन्ना आया लेकिन उसकी परची पर उस गन्ने की कीमत क्या हुई यह नहीं लिखा जा रहा है। आज भी नही लिखा

जा रहा है। आज भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस उपाय से जो आप लाए हैं जो आपने मकसद बताया है आपका वह मकसद हल होने वाला नहीं है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे केन ग्रोअर के पैसे का भुगतान हो। आपने बफर स्टॉक बनाया है वह ठीक किया है। मैं मानता हूँ कि उससे कुछ लाभ होगा। इस योजना से जिसका आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं और ऐसे मौके आते हैं कि जब इस ढंग के नियंत्रण करने पड़ते हैं, लेकिन इस नियंत्रण के साथ-साथ आपको अपने मकेनिज्म को भी बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। आपको उन छोटी फैक्टरियों का ध्यान रखना पड़ेगा जो अपनी ताकत से ज्यादा नहीं कर सकती हैं, वे ज्यादा जमा भी नहीं रख सकती हैं। आपको निर्यात के मामले में उदार होना पड़ेगा। आपको निर्यात के लिए सबसिडी देनी पड़ेगी। आप गेहूं के निर्यात पर बहुत सबसिडी दे रहे हैं। आप गेहूं का निर्यात करने वालों को गेहूं केवल साढे चार सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने जा रहे हैं। आप ऐसी व्यवस्था चीनी के लिए क्यों नहीं करते हैं? आपके यहां स्टाक है, गेहूं का स्टाक है और आप गेहूं निर्यातकों को सबसिडी दे रहे हैं। इससे किसानों को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इससे किसान का केवल इतना ही फायदा होने वाला है कि गेहूं उठेगा, गेहूं बिक जायेगा । जब आप चीनी पर सबसिडी देंगे तो मैं मानता हूँ कि उससे किसान का डायरेक्ट फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इससे किसान को केवल इतना फायदा होगा कि जब माल उठेगा तो किसान को उसका पैसा मिल जायेगा। आपको चीनी के निर्यात के लिए सबसिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे देश भी सबसिडी के आधार पर ही चीनी का निर्यात कर रहे हैं। अगर आपको चीनी मिलों की समस्या को हल करना है, गन्ना किसानों की समस्या को हल करना है तो निश्चित रूप से आपको माल उठाने, माल भेजने की व्यवस्था करनी होगी। इस नियंत्रण के जरिए से आपको अपने मैकेनिज्म को सुधारना होगा जिससे कि वह अनियंत्रित न हो जाये, चूंकि आपका मैकेनिज्म, आपकी मशीनरी अनियंत्रित हो जाती है और नतीजे में उपभोक्ताओं को कष्ट उठाना पड़ता है। आप उन छोटी फैक्टरियों का भी ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये अधिकतर को-आपरेटिव की हैं। उनका आप ध्यान रखिए क्योंकि उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वे माल को बहुत दिनों तक रोक सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : मैडम, इस सिलसिले में मंत्री महोदय कृपा करके अपने उत्तर में यह भी बता दें कि क्या चीनी का ऐसा कोई सौदा हुआ है जिसके बदले में हम विदेशों से हवाई-जहाज खरीद रहे हैं? ऐसा अखबारों में आजकल बहुत ज्यादा फोकस में यह सारा मामला है कि देश चीनी देकर के उसके बदले में हवाई-जहाज खरीदने की कोशिश कर रहा है।

उपसभापति : यह तो बहुत अच्छा होगा।

श्री बालकवि बैरागी : क्या आपका मंत्रालय इस सारे मामले से सीधे जुड़ता है?

उपसभापति : शायद वह इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले हवाई मंत्री थे। हो सकता है कि आपके पुराने ताल्लुकात की वजह से चीनी देकर के हवाई जहाज आ रहा हो।

श्री बालकवि बैरागी : मैडम, यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री शरद यादव : मैडम, यह जो बात माननीय सदस्य ने कही है, इसके बारे में मैंने भी इसको अखबार में ही पढ़ा है। आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वाभाविक ज्ञान से कह सकता हूं कि इस बात में तथ्य कम हैं।

उपसभापति : अगर हो तो कोई बुरी बात नहीं है। चीनी ज्यादा पड़ी है, उससे हवाई जहाज आयेगा तो वह काम में आयेगा।

श्री शरद यादव : कोई बुराई नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज आयेगा तो वह भी काम में आयेगा।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, the Essential Commodities Act, 1955 provides for maintaining or increasing supplies of essential commodities or for securing their equitable distribution and availability at fair prices. The Central Government may issue orders regulating or prohibiting the production, supply and distribution of such essential commodities in trade and commerce. The present Bill aims to amend Section 3 of the Act. The new Sections 3(d) and 3(e) have been introduced. This amendment has to be read with Sugar Control Order, 1966. This amendment has been brought forth keeping in mind the policy of partial control of sugar since 1966 and allocating a portion of sugar as levy sugar for the Public Distribution System. We are very well aware that the Central Government has adopted a regulated release mechanism for release of levy free sugar, that is, free sale sugar by issuing orders under the Sugar Control Order, 1966. As per new amendments, according to the directions of the Central Government, a producer can import, export, dispose of, deliver or remove any kind of sugar from the bounded godowns of the factory. While implementing this Section, we should see to it that it does not affect the pledging of such sugar by the producer in favour of any scheduled bank. Madam, the Sugar Control Order was last amended in June 1999. Clause 4 and clause 5 of the said Order empowered the Government to give direction to the producer, on lines similar to the new amendment, that is, Sections 3(d) and 3(e) of the Essential Commodities Bill. I very well understood the recent challenge the Government is facing to the regulated release mechanism in the courts, which has led to the difficulties in its operation. Due to the difficulties in operating there, there is a sharp decline in the sugar prices also, which in turn, affects the capacity of the producer to pay cane prices to the sugarcane growers. Please, ensure that these provisions will definitely safeguard the interests of the sugarcane growers, producers and general public. The present amendments are aimed at re-stabilising the market prices of sugar and to overcome the difficulties

in implementing the regulated release mechanism policy of the Government effectively and efficiently.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2003 has been brought before us for discussion, consideration and passing, to strengthen the hands of the Government. In the Statement of Objects and Reasons, they did not mention as to how it is going to further strengthen their hands from the previous position. As far as sugar manufacturing, distribution and supply through the Public Distribution System are concerned, I feel that it has to be discussed here through some Short Duration Discussion. At present, it is being discussed in a piecemeal manner; in six months, the discussion on sugarcane has taken place twice or thrice. A comprehensive discussion has to take place. Madam, before this Bill was brought before us, the Government had assured that about Rs. 800 crores will be released through (i) bank advances, to the tune of about Rs. 400 crores; and (ii) Rs. 400 crores by the Sugar Development Fund. Utilising this opportunity, I would like to know from the Government whether the entire Rs. 800 crores has actually been utilised; if so, the money has reached the hands of the producers. The next part of my question in this regard is, after having reached the hands of the producers, has the money reached the hands of the sugarcane growers? That is very important. We have decided to release Rs. 800 crores only to see that the balance in payment of the sugarcane growers is paid. In that case, has the Government got any mechanism to find out the amount actually paid, through the purchase of sugar of 20 per cent, as decided by it, to the sugarcane growers? If it is not so, only the industry is benefiting and not the farmers. Therefore, this has to be cleared. Secondly, apart from this fixed price, the minimum support price, I think the Government has to pay an additional Rs. 50 per tonne to the sugarcane growers. Has that money been paid throughout India? Which are the States that have failed to comply with the order issued by the Central Government? This is my second question. My third question in respect of this Bill is this. It is said that it is deemed to have become effective from the 14th day of June, 1999. In case it is struck down in the court of law - I think already it is before the Allahabad High Court - what happens? The hon. Minister may say, "We need not think of a hypothetical situation". But, I would like to know from the hon. Minister whether there is any special court to deal with such issues. These sugar manufacturers, mill-owners and the people who run these sugar mills, they have gone to the court because the special court which was intended for this purpose previously, which was in action upto

1998, went out of action. After the special court was constituted, it was extended year by year. But after a particular year, it was abandoned by the Government. Then the manufacturers, utilising that opportunity to go to some other courts, went to magisterial or other courts. Previously they could not go there because the special court had been constituted to deal with such things. If there had been no special court, they could have clearly said that there was no special court. It was in operation, and it was extended every year. Why was it given up? Had it been in operation, the mill-owners would not have gone to the court. Therefore, the mistake lies here. Now you are seeking the remedy. This would have become effective from the 14th day of June, 1999. I am not talking about the remedy; I am talking about the lapse in the administration. That is why I request the Government of India to revive the special court which was in operation previously for this purpose. If it is not so, the mill-owners will again see that it is struck down. They know whom they can catch; they can catch some brilliant lawyer and fight it in the court of law. They will see that it is struck down. We cannot be mute spectators and say that it has been struck down by the court. Now, there are two things. The interests of the consumers and the sugarcane growers have to be protected. I would like to know whether this Bill will serve this twin-purpose. When prices have come down, you are intervening. What about the sugarcane growers? How are you going to solve the problem? Will you kindly let me know how much amount the mill-owners have to pay to the sugarcane growers? For how long, they did not pay to them? What is the reason behind that? I would like to know whether the Government of India has taken any concrete steps in this regard, except giving that Rs. 800 crores. It is not a party issue. It is an issue concerning the people from Kashmir to Kanyakumari. The sugarcane growers are affected throughout India. I feel that the intention of this Bill is good. Through this Bill you want to strengthen the hands of the Government because the judgement delivered previously facilitates the mill-owners to release the sugar at their whims and fancies. But I feel that it is inadequate. I feel that unless and until that special court is put in operation again, we cannot solve this problem. With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Thank you, Madam Deputy Chairperson. This Bill is brought with an intention to prevent the mill-owners from selling the sugar with the aid of the court order. But this Bill should have come with more amendments. I mean to say that this Bill

is only intented to strengthen the hands of the Government. There should have been a clause for strengthening the hands of the sugarcane growers also. The interests of the sugarcane growers have been totally neglected in this Bill. In our country, no consumer is saying that he is not getting sugar at a reasonable price. There is no dearth of sugar in this country. It is not a case of the consumers saying that they are not getting sugar at a reasonable price in the shops or through the PDS. The sugarcane growers, all over the country, have not been paid. The sugar mill-owners are enjoying the fruits. The sugarcane growers have not been paid for the past three years. The sugarcane growers are setting on fire the sugarcane crops. They have no money to repay the loan that was taken to raise the crop. This is the important issue. This amendment, as I have said earlier, seeks to enable the mill-owners and exporters to sell the sugar which they have stocked in their godowns or warehouses. That is the motive. The Government has not considered the repeated requests and demands of the farmers. That is why I am asking the Minister: What are the steps that he is proposing to take to protect the interests of the sugarcane growers? What provisions have you provided in this Bill? The cooperative sugar mills have borrowed money after pledging their sugar to the banks. They are charging 14-16% interest. They are not getting the release orders from the Government. Mr. Minister, where is the order? You are going to permit the sale of sugar by the sugar factories. You have authorised only 500 tonnes and not more than that. I don't want to say that it is your discretionary power. Sometimes, you have allowed to sell 200 or 300 tonnes. I will give you an example in Karanataka State. I am coming from Hassan district. There is one Hemavati Sugar Factory. This factory borrowed money from the Hassan DCC Bank at the rate of 16 per cent interest. There is a tussle between the administration and the Minister in charge of the district. He wanted to take over the administration of the sugar factory. He asked the DCC Bank to seize the entire sugar stock and not to release any sugar for sale. In these circumstances, a case has been registered. How is it going to solve this type of problem? The ultimate sufferer is the sugarcane growers and not the MD, the Minister and the Government. Therefore, I would like to know from the hon. Minister how he is going to save the sugarcane growers in this country. What provisions have you provided in this Bill? The Government has totally neglected the sugarcane growers. It is not caring for the sugarcane growers. Therefore, I humbly submit to you, please look into the problems of the sugarcane growers. No consumer in this country is saying that sugar is not available in this country at a

reasonable price. It is the sugarcane growers who made a sincere request for remunerative price and loans at a lower rate of interest. But these have not been reflected in this Bill. So, please withdraw this Bill first, and come forward with a comprehensive Bill and safeguard the interests of the sugarcane growers. Otherwise, it is only a partisan, industry-oriented Bill. It will not serve the purpose.

I hope the hon. Minister will consider my request. A comprehensive Bill should be brought forth keeping in view the interests of sugarcane growers. Thank you.

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल) : माननीय उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों में धारा 3 (डी) और 3 (ई) जोड़ना चाहते हैं और शुगर कंट्रोल के ऑर्डर को और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विधेयक के बाद, इन प्रोविजन्स के बाद भी उन लोगों को फायदा मिल पाएगा जो गन्ना उत्पादक हैं या जो उपभोक्ता हैं । यह एक प्रकार का संशय बना हुआ है । आपका रेग्युलेट्री रिलीज मैकेनिज्म फेल हो गया । कई चीनी मिल मालिकों ने उसे कोर्ट में चुनौती दे दी और आप नियंत्रण नहीं रख पाए । इसकी वजह से कीमतों में गिरावट आई । इसे रोकने के लिए आप ऐक्ट में प्रोविजन करना चाहते हैं लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तविक अर्थों में ऐक्ट में प्रोविजन्स प्रभावी हो पाएंगे क्योंकि चीनी मिल मालिकों की जो आदत रही है उससे सारा देश परिचित है । जिस समय शुगरकेन के क्रशिंग का सीजन आता है उस समय वे कोई न कोई बहाना निकाल लेते हैं जिससे उन्हें गन्ना उत्पादकों को ज्यादा कीमत न देनी पड़े । इसके लिए वे जिन रास्तों को अपनाने की कोशिश करते हैं उसमें हमने यह देखा है कि सरकार उसे प्रभावी तरीकों से नहीं रोक पा रही है । आपने इस बिल के उद्देश्यों में भी कुछ कहा है । यह प्रस्तुति है । हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में लोगों को सप्लाई मिलती रहे, आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें । हमारा फेयर प्राइस मैकेनिज्म प्रभावी रूप से काम करे, इसके लिए अधिनियमित किया गया है । मगर यह अधिनियम कितना प्रभावी हो पा रहा है ? पिछले दस-बारह सालों से जो देखने में आ रहा है वह यह है कि इन सरकारों ने, जिस सरकार में आप बैठे हैं, वह सरकार भी सम्मिलित है, इससे पहले जो सरकारें हैं उन्होंने जो सस्ता गल्ला वितरण की प्रणाली थी उसका भट्टा बिठा दिया । वह एक प्रकार से तहस-नहस हो गई, बर्बाद हो गई । इस समय जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, जिन्हें पिछले चालीस-पैंतालीस वर्षों में बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, वह सिस्टम अब प्रभावी नहीं रह गया है । आम आदमी को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है । इस देश को अगर आपका कोई फायदा मिला है तो केवल इतना मिला है कि कल तक जो सस्ते गल्ले की दुकान थी उसे आपने महंगे गल्ले की दुकान में परिवर्तित कर दिया है । हमारे मित्र, श्री संतोष बागड़ोदिया जी ने यहां पर कहा है कि जब चीनी मार्किट में, खुले बाजार में सस्ती मिल रही है तो कौन व्यक्ति होगा जो सस्ते गल्ले में जाएगा । वहां जिस प्रकार की चीनी मिलती है वह अच्छी चीनी नहीं होती है । कृपा करके यह देखिए कि सस्ते गल्ले की प्रणाली जिस बात के लिए खड़ी की गई थी, जिसके लिए यह ऐक्ट अधिनियमित किया गया था, उसके

उद्देश्य पूरे हो सकें । ये उद्देश्य तभी पूरे हो पाएंगे जब आपका उद्देश्य आम उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने का हो । आपने एक बहुत अच्छी बात कही है । जो क्राइसिस आई थी उसे दूर करने के लिए बफर स्टॉक बनाने की बात कही है । बफर स्टॉक में आप छोटे राज्यों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं । हमने उत्तरांचल के लिए मांग की थी कि आप हमें इसमें से ज्यादा हिस्सा दीजिए लेकिन आपने बहुत कम हिस्सा दिया है । इससे हमारी केवल एक-दो ही चीनी मिलों को फायदा पहुंचा है । मैं इसके लिए आपसे अलग से प्रार्थना करूंगा कि इसे देखने की कृपा करें। आपने उस समय यह कहा था कि हम जो पैसा चीनी निधि से रिलीज कर रहे हैं वह सीधा गन्ना उत्पादकों को पहुंचेगा । यह वास्तव में कितने उत्पादकों को पहुंच रहा है ? आज गन्ना उत्पादकों की क्या स्थिति है ? आज भी जब गन्ना उत्पादक अपना गन्ना लेकर चीनी मिल पर जाता है तो यह मिल मालिकों की मर्जी पर है कि वह उसे दें या न दें । आज भी उसकी पर्ची पर यह नहीं लिखा जा रहा है कि किस मूल्य पर उसके गन्ने को खरीदा जा रहा है, उसे कितना भुगतान होगा ? कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है । तीन-चार महीने बीत गए हैं और दो-तीन महीने के अंदर क्रशिंग सीजन समाप्त हो जाएगा । ऐसी स्थिति में जब आप उसके इंटेरस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हैं तब मंत्री महोदय अच्छा विधेयक लाने के बावजूद भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अच्छे उद्देश्य के साथ-साथ अच्छा इरादा भी रखिए । कुछ हिम्मत, हौसला बनाइए और हौसले से काम करिए । आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं और जिस प्रकार की आपकी पृष्ठभूमि रही है, मुझे लग रहा है कि जिस संगत में आप बैठे हुए हैं उसका कुछ असर आप पर पड़ने लग गया है । आप भी उन्हीं के तरीके से सोचने लग गए हैं । उनकी सोच तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की है। आपकी सोच किसान को और उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने की रही है । मगर इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय के स्वामी होने के बावजूद भी, इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री होने के बावजूद भी आप इफैक्टिव तरीके से न तो कंज्यूमर के इन्टरेस्ट को प्रोटैक्ट कर पा रहे हैं और न जो रियल प्रोडॅयूसर है उसके इन्टरेस्ट को प्रोटैक्ट कर पा रहे हैं ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि यह एक प्रकार के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने वाला विधेयक है, इस विधेयक के प्रोविज़ंस का सपोर्ट करता हूँ ।

उपसभापति : मंत्री जी ।

श्री शरद यादव : मैडम चेयरपर्सन, माननीय सदस्यों श्री बागड़ोदिया जी ने, श्री प्रशांत चटर्जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, श्रीमती दुर्गा जी ने, श्री रमा शंकर कौशिक जी ने, श्री नारायणन जी ने, श्री विरुम्भी, श्री गौडा और श्री हरीश रावत जी ने इस बिल पर अपने विचार रखे हैं और मैंने जो कहा है तथा जो मैं कहना चाहता था, मैं सोचता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल के हक में बोलने का काम किया है । उन्होंने अपनी कुछ शंकाएं जरूर रखी हैं । मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन की इस भावना के साथ सहमति व्यक्त करता हूँ कि लगातार समाज और दुनिया बदलती है और इस बदलती दुनिया में उस चुनौती के साथ निपटने का मन भी होना चाहिए । निश्चित तौर पर जो शूगर इंडस्ट्री है इसमें इस साल बड़ी क्राइसेस है । जब से यह जिम्मेदारी हमारे हाथ में आई है और उस क्राइसेस के बाबत, भारत सरकार के हाथ में और हमारे हाथ में जितने भी कदम हो सकते हैं, वे एक-एक करके हमने उठाने का काम किया है । माननीय सदस्यों ने कई तरह से, कई सवालों को उठाने का काम किया है । उन्होंने एक मुख्य बात कही कि हमारा बफर स्टॉक बहुत बढ़ गया है और इसके

चलते सब जगह दिक्कते आई हैं । निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता गया है, कंजंप्शन हमारा बहुत बढ़ता गया है, लेकिन इसके साथ-साथ एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ता रहा है । कोई माननीय सदस्य कह रहे थे, शायद कौशिक जी कह रहे थे कि पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट, उन्होंने जो आंकड़े बताए, वैसा नहीं है । हमने 15 लाख मीट्रिक टन पिछली बार एक्सपोर्ट किया है । इस साल उससे भी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा । एक्सपोर्ट में जो सबसिडी देने की बात आपने कही है, वह हम दे रहे हैं । यानी जो इंटर्नल ट्रांसपोर्ट है, उस पर भी हम सबसिडी दे रहे हैं और इस बार मैंने प्रावधान किया है कि ओशन फ्रेट पर भी हम 350 रुपये प्रति टन सबसिडी देंगे । हमने जो कदम उठाए हैं उसमें पांच रुपया एमएसपी पर बढ़ाने का काम किया है । मैंने कहा कि जो बफर स्टॉक है वह लगातार बढ़ता गया है । यह तकरीबन 40 लाख मीट्रिक टन से आज 102 लाख मीट्रिक टन हो गया है । हमारे पास चीनी बड़े पैमाने पर जमा हुई है । उसमें जो नीति बनाने का काम किया और जब-जब यह डीकंट्रोल वाली नीति बनी है जैसे 1971 में बनी तो क्राइसेस आया। मैं मानता हूं जो कौशिक जी कह रहे थे कि पूरे भारत में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में खास करके यूपी और बिहार में गंभीर समस्या लगातार रहती है । अकेले इस साल नहीं इस साल की शक्ल अलग है, लेकिन जो क्राइसेस है, मैं लगातार इस इलाके में रहा हूँ और मुझे मालूम है कि वहां जो परिस्थिति है वह बिगड़ी रहती है । उसके कई कारण हैं और उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन सब से बड़ी बात, मैडम डिप्टी चेयरमैन, इसमें यह है कि हमारे पास जो बड़ा बफर स्टॉक बना हुआ है उसके चलते बाजार में दामों में थोड़ी गिरावट आई है और इस गिरावट का असर सुगर मिल ओनर्स पर पड़ा । मैं मानता हूं कि यह एकतरफा मामला नहीं है समस्याएं हैं और बफर स्टॉक भी है । फिर डिकंट्रोल की तरफ हम गए । जब मैं मंत्रालय में नहीं था, उस के पहले से फैसला किया कि डिकंट्रोल की तरफ जाना चाहिए । अब जो डिकंट्रोल के लिए कदम उठाए गए, उस में इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है । जब उन को लगा कि डिकंट्रोल होने वाला है तो माल जल्दी बेचो और उस हड़बड़ी में कुछ लोगों की नीयत ठीक थी और कुछ लोगों की खराब भी थी । महोदया, अभी बागड़ोदिया जी कह रहे थे, मैं उन की एक बात से सहमत हूँ कि लोग कोर्ट में गए । तो कोर्ट होती ही इसलिए है कि न्याय मांगा जाए । मैं उस से एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस के चलते परिस्थिति यह बन गयी कि 37 लाख मीट्रिक टन अनाज बाजार में आ गया । उस के लिए सरकार ने सब तरह से प्रयास किए कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और सारी चीजें की गयीं, लेकिन बात बनी नहीं बल्कि बिगड़ती गयी । उस के बिगड़ने के बाद भी हम ने कई तरह के कदम उठाए । महोदया, माननीय कौशिक जी ने जो बात कही, उस में पिछले साल के सिर्फ 27 करोड़ बचे हैं । मैं जिस दिन इस सदन में खड़ा था, उस समय हजारों करोड़ थे, अब उस से घटकर 27 करोड़ रह गए हैं । महोदया, रावत जी कह रहे थे कि हम ने बफर स्टॉक बनाया । महोदया, अभी उस की पहली किस्त जाने वाली है, और किस्तें गयी नहीं हैं । हम ने 20 लाख टन का जो बफर स्टॉक बनाया है, उस के ऊपर 778 करोड़ रुपया सीधे किसान के पास जाएगा । महोदया, मैं आप के माध्यम से माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि उस की पाई-पाई हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे । उस की पहली किस्त जाने वाली है और उस का असर होना शुरू हुआ है । महोदया, पिछले साल के पूरे देशभर के जो केन ज्यूज हैं, वे 95 करोड़ रुपए बचे हैं । यह सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं । पुरानी मिलें बंद हो गयीं, और चीजें हो गयीं, उस में वर्ष 2001-2002 और पिछले सालों में कई कारखाने बंद हो गए, कई मिलें बंद हो गयीं, कई सरकार की मिलें हैं और वह ज्यूज ऐसा है कि उस के लिए हमारे पास कोई उपाय

3.00 p.m.

नहीं है । लेकिन पिछले साल के ड्यूज के लिए हम ने कई तरह के कदम उठाए हैं । हम ने एक्सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी दी, ओसियन सब्सिडी दी, ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक हम ने बनाई जिस में 4 परसेंट बेनेफिट मिलेगा । अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि डबल्यू.टी.ओ. से मदद करनी चाहिए । उस के अंतर्गत नेट 395 करोड़ रुपए की मदद दी गयी है जिस से कि एक्सपोर्ट ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ सके । महोदया, हम ने 20 लाख का बफर स्टॉक बनाया जिस से कि 778 करोड़ रुपए का किसानों को ड्यूज जाएगा । उस की पहली किस्त गयी है और मैं मानता हूं कि आगे और तीन किस्त जानी हैं, उन से उन्हें और राहत मिलेगी । अभी माननीय रावत जी ने जिस इश्यू को उठाया था, महोदया, हम ने 5 रुपया एम.एस.पी. का बढ़ाया है । हमारी जो सुगर इंडस्ट्री है, उस में सुगर को जो हमारा ट्रेडीशनल प्रोडक्सन है, यानी सुगर के साथ शीरा जैसी चीजों को जो ट्रेडीशनल उत्पादन है, जब तक हम इसे दूसरी चीजों पर डायवर्सीफाई नहीं करेंगे, इस दूसरी मदों में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इंडस्ट्री का क्राइसिस मुकम्मल खत्म नहीं होगा । अभी विरप्पा साहब कह रहे थे कि इस में एथनॉल और जो कोजनरेशन है, उस पर 5 परसेंट की जगह 15 परसेंट करना चाहिए । मैं ने उस के लिए निश्चित तौर पर बी.आई.एस. के लोगों से उसे 15 परसेंट करने के लिए कहा है । यह दुनिया में हो रहा है और इस के मॉडर्नाइजेशन के लिए हम ने एस.जी.एफ. से 2182 करोड़ रखा है जिससे कि इंडस्ट्री ऊंची उठ सके । हम ने वह काम भी किया है । हमारे पास अभी जो 1303 करोड़ रुपया बचा है, उस में से हम ने बड़े पैमाने पर बफर स्टॉक व और चीजें बनायीं । महोदया, इस का मकसद है कि इंडस्ट्री, केन ग्रोअर्स और उपभोक्ता - सभी को बैलेंस कर के इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाय । उस में हम ने किसी एक पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया है । यह जो डिकंट्रोल का मामला है, यह भी देशभर में जो इंडस्ट्री थी, जो देशभर में ग्लोबलाइजेशन का वातावरण बना हुआ था, उसमें हमने जो कदम उठाया है, उस कदम के चलते भी हमें नुकसान पहुंचा है और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएफ से जो ब्याज हम दे रहे हैं, पूरे देश में कोई ऐसा बैंक नहीं है, केवल हम ही 6 परसेंट पर दे रहे हैं। बागड़ोदिया जी ने छोटी मिलों के बारे में कहा, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी मिलों को ही मिलेगा, छोटी मिलों को नहीं मिलेगा, इसमें सबको समान तौर पर मिलेगा। हमारी तो चिंता हमेशा यह रहती है कि जो ज्यादा तनहा है, हम उसकी कैसे मदद करें। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन या सारा का सारा डाइवर्सिफिकेशन हमको करना है, जो हमारी ट्रेडीशनल इंडस्ट्री है, उसको वॉयबल बनाना है, उसके लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं तो उसके लिए हमने एक कदम यह उठाया कि 6 परसेंट पर ब्याज देंगे।

मैडम, माननीय सदस्यों ने जो कई तरह की शंकाएं उठाई हैं, उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया में तो रोज चुनौती आती है। इस पर दोनों सदनों में इतनी लम्बी बहस हुई है, लगातार सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। उस चिंता के चलते, आपके दबाव के चलते और हमारी सरकार की भी चिंता के चलते हम लोग लम्बे समय से, पिछले सत्र से इस मामले में लगे हैं और यह जो बिल लाया गया है यह सहमति के बाद लाया गया है। आपके किसानों के जो संगठन थे, इस्मा और कोआपरेटिव सोसाइटी के जो संगठन थे, आरगनाइजेशन थे, उन सब लोगों से बहस के बाद, सरकार के मंत्रिगण जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय के बाद, सदन के आप सब जो सदस्य बैठे हैं, आप सब लोगों ने जो कहा, उसके चलते प्रधानमंत्री जी ने पिछले सदन में, लोक सभा में, इस मामले को पक्के कदम के साथ घोषित किया था कि हमको रिलीज मैकेनिज्म को मज़बूत करना है। 1966 का जो हमारा कंट्रोल वाला मैकेनिज्म है, वह काम नहीं

कर पाया, उसके चलते हमको एक दिक्कत आई। मैं यह नहीं कह रहा कि उसके चलते ही सारी दिक्कत आई। हमारा उत्पादन बढ़ा है, हमारे किसान, जो ग्रोअर्स हैं, उनका रकबा बढ़ा है, हमारा उत्पादन लगातार बढ़ा है, हमारी कंज़म्शन लगातार बढ़ी है, सारी चीजें एक साथ हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि इस बिल के चलते हमने सभी लोगों से सम्पर्क किया है। सभी लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद सरकार यह बिल लाई है। इसमें सिर्फ यह नहीं है कि हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी, इससे यह होगा कि सरकार जो नीति बना रही है, उसका फायदा सबको मिलेगा, जिसके बारे में बागड़ोदिया जी कह रहे थे कि यह कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश में शक्कर बहुत जरूरी चीज़ है -- शक्कर यानी मिठास। हमारे यहां लोग हमेशा कहते हैं कि जरा मीठी बात करो, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा जब बागड़ोदिया जी बोले कि यह कोई जरूरी चीज नहीं है, इसको ऐसेंशियल में नहीं डालो। बागड़ोदिया जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आपको अपनी राय बदलनी चाहिए और यह जो बिल है ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : मीठी बात के खिलाफ हैं, पर सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : बागड़ोदिया जी ने और सब लोगों ने जो दबाव बनाया और सारी चीजें की, इसलिए सरकार कदम उठा रही है। इसीलिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री सोमपाल जी हैं और सोमपाल जी इस मामले में काफी एक्सपर्ट हैं। तो सभी मंत्रालयों को बिठाकर इस पर एक कमेटी बनाई गई है। तो यह एक तात्कालिक जो कदम उठाया जा सकता था, वह उठाया गया है और लॉंग टर्म पालिसी क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी एक कमेटी बनाकर चर्चा चल रही है।

मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि सदन इस बिल को पास करने का काम करे। धन्यवाद।

उपसभापति : श्री जवारे गौडा-जी, आपकी क्या समस्या है? ..(**व्यवधान**)..

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : मैं समझता हूं कि इससे बड़े-बड़े लोगों को ही मदद मिलेगी और जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनको मदद नहीं मिल सकेगी।

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य से मेरा कहना है कि जो उनकी आरगेनाइजेशन्स हैं, उनसे केवल एक बार ही इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। उनकी आरगेनाइजेशन में छोटे भी हैं और बड़े लोग भी हैं। बागड़ोदिया जी ने बड़े लोगों के बारे में कहा था, तो बड़ा आदमी तो हमेशा फायदे में रहता है, बड़ी मछली फायदे में रहती है, यह नेचर का काम है। लेकिन मैं इस बिल के द्वारा आपको इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटे लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा।

SHRI H. K. JAVARE GOWDA : Madam, this Bill has been brought in with the specific intention of regulating the sale of sugar, the ultimate power resting with the Central Government so far as the release of sugar for sale is concerned. But in the Essential Commodities Act, sugar is not the only commodity; the Act regulates the trade in certain other commodities also. Of course, this Bill is regarding the control of sugar. So, I want to

know whether you have made any effort to protect the interests of the sugar cane growers.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Minister, are you taking any steps to protect them?

श्री शरद यादव : मैडम, मैंने तो लगातार बताया है कि 786 करोड़ रुपए केवल शूगरकेन ग्रोअर्स के लिए ही जा सकते हैं, उसका एक धेला भी कहीं नहीं जा सकता। पांच रुपए हमने जो अभी बढ़ाए हैं, यह आप सब लोगों की राय से ही बढ़ाए हैं। खासकर जवारे गौड़ा जी ने इस सवाल को यहां उठाया था। उस डिबेट के बाद ही पांच रुपए बढ़ाए गए। फिर ओशन फ्रेट पहले नहीं था, वह बढ़ाया। ये जो पिछले ड्यूज़ हैं, मैंने कहा कि करीब 95 करोड़ रुपए के ड्यूज़ बचे हैं। पिछली बार के ड्यूज़ करीब 200 करोड़ रुपए के थे। इस तरह केन-ग्रोअर्स के हक में हमने कई कदम उठाए हैं। यह कदम इसलिए उठाया है कि यदि इंडस्ट्री भी नहीं बचेगी, यदि इंडस्ट्री के पास किसान को देने का सामर्थ्य नहीं होगा तो अल्टीमेटली पूरे देश का नुकसान होगा। यह एक कदम हमने उठाया है। इसके अलावा बहुत से कदम किसानों के हित में हमने पहले ही उठाए हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : मैडम, मंत्री जी ने लॉंग-टर्म पालिसी की बात कही है। मंत्री जी बताएं कि वे कब तक लॉंग-टर्म पालिसी लाएंगे? इस शॉर्ट-टर्म पालिसी से काम नहीं चलेगा।

उपसभापति : कौशिक जी, आप बता दीजिए, आपका सवाल क्या है?

श्री रमा शंकर कौशिक : मेरा सवाल यह है कि आप अगर वाकई इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम जो आप तत्काल कर सकते हैं वह यह है कि आप बिजली विभाग वालों से बात करके, सारे राज्यों के बिजली बोर्डों से बात करके, उनको बिजली बनाने की छूट दे दीजिए। बिजली बोर्ड उनको बिजली बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। इससे बिजली की समस्या का भी निदान होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।

मैं MSP की बात नहीं कहता हूं। आप MSP समय से घोषित करते हैं लेकिन जिन राज्यों में MSP के जरिए नहीं होता, उन राज्यों में पहले से ही ऐलान हो जाए तो वे गन्ना कम बोएंगे और दूसरी फसलों की खेती अधिक करेंगे लेकिन आपके भाव घोषित ही नहीं किए जाते, आज तक घोषित नहीं हुए हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव आज तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गन्ना उत्पादकों की हालत बहुत खराब हो जाती है। आप कृपया पहले ही गन्ने का और दूसरी फसलों का मूल्य घोषित कर देंगे तो वे उतनी ही जीस बोएंगे, जितनी आवश्यकता होगी।

उपसभापति : मंत्री जी, इनके दो सवाल हैं।

श्री शरद यादव : महोदया, मैं माननीय सदस्य के दोनों सवाल समझ गया हूँ । एक तो उन्होंने बताया कि को-जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है। को-जनरेशन में जो बिजली बनाई जाती है, वह स्टेट बोर्ड लेगा या NTPC लेगी, यह एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में हम अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। Ethanol के मामले में भी हमारे मंत्रालय ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लगातार संपर्क करके इस मामले को आगे बढ़ाया है और इसको बहुत गंभीरता से लिया है।

आपका दूसरा सवाल SMP के बारे में था। CACP ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है। कौशिक जी ने पिछली बार भी यह मामला उठाया था। उस बात को मैंने ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर तक पहुंचा दिया था और उनसे पूछा था कि क्या यह संभव है? यह पहले तो कभी हुआ नहीं है। इनका सुझाव है कि मूल्य पहले घोषित कर दिए जाएं, सपोर्ट प्राईस पहले तय कर दी जाए। यदि यह संभव हुआ तो निश्चित तौर पर हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से किसान का हित हो, उस दिशा में प्रयास करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।

उपसभापति : लॉग-टर्म पालिसी भी बना दीजिए।

श्री शरद यादव : लॉग-टर्म पालिसी के बारे में मैं बागड़ोदिया जी को कोई समय सीमा तो नहीं दे सकता हूं। निश्चित तौर पर जो तात्कालिक कदम हैं, उनके बारे में मैंने उन्हें बताया है। उनको मुतमईन होना चाहिए, उनको थोड़ा संतोष होना चाहिए। आपको संतोषी होना चाहिए। आपका नाम "संतोष" गलत रखा हुआ है।

सीधी बात यह है कि मैंने जितने भी तात्कालिक कदम बताए हैं, एक बात पर तो उन्हें राजी होना चाहिए कि जितने भी कदम इस समस्या के समाधान के लिए उठाए जा सकते हैं, वे सरकार ने उठाए हैं ।

THE DEPUTY.CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD YADAV: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN Thank you very much. आप ऐसे मीठे-मीठे बिल लाया कीजिए तो जल्दी पास होंगे।

श्री राजीव शुक्ल : ज्यादा ही मीठा है मैडम्।

उपसभापति : अब दूसरा भी अच्छा बिल आ रहा है, राज्य सभा के हित का बिल है। Now, we take up the Representation of the People (Amendment) Bill, 2001. Shri Arun Jaitleyji.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2001

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I move:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration."

Madam, the thrust of this Bill relates to two special aspects with regard to the procedure for elections to the Members of the Council of States *i.e.* the Rajya Sabha. We have since 1951 had a firm system where to be eligible under section 3 of the Representation of the People Act, to contest for the election for the Rajya Sabha, one has to be an elector of that State; and under section 19 of the Act, in order to be an elector of the State, you have to be a person ordinarily resident in that State. Now, several features over the functioning of this election system have come to notice. In a large number of cases, political parties which send representatives from various States, have sent a person, who traditionally was not resident in that State, but for the purposes of election to the Rajya Sabha, got enrolled as elector in that particular State. If we do recollect, about six - seven years ago, there was a large controversy whether this practice now requires to be changed, as far as the legal system is concerned. We tried to develop a consensus amongst political parties. Some of the political parties took a particular view that a change, perhaps, is now required. Some people still had reservations about this. One of the points of criticism which was made against this proposal was that this may perhaps affect the spirit of federalism, which is otherwise inherent in the fact that it is only an elector of a State who gets elected from that particular State. Under the existing system or the proposed system, it is the Members of the Legislative Assembly of the State who are the electors. It is their option whom they choose to elect; who they feel can best represent the interests of the State. As against this, several arguments have been given, which I present before the hon. House, as to why this system requires now to be altered. One of the first reasons why it requires to be altered is, because in the matter of its actual implementation, a breach too frequently was witnessed. Therefore, political parties wanted to come to an honest